सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 34 / 2021

अनवान इकबाल सिह बनाम शान्ती वगैरा

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 10 / 5 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या इकबाल सिह में 0.658 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 10 / 5 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 खाता संख्या इकबाल सिह में 0.658 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नही है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि कश्त करने के लिये आने जाने में बिना स्वीकृति रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही होने से भयभीत हो रहा है। अब प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु चालू रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 59 / 66 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 169 / 156 मु.न. 80 किला नं. 16 / 1 / 0.0026 है. (किला की पश्चिमी दिशा में दक्षिणी–पश्चिमी कौण में 33 फुट लम्बा व 8 ¼ फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप इतनी की कृषि भूमि या कृषि भूमि का बाजार मूल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। इस कारण प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 से कई बार निवेदन किया कि आप अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 59 / 66 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 169 / 156 मु.न. 80 किला नं. 16 / 1 / 0.0026 है. (किला की पश्चिमी दिशा में दक्षिणी–पश्चिमी कौण में 33 फुट लम्बा व 8 ¼ फुट चौड़ा) किला नम्बर 25 / 0.013 है (किला की पश्चिमी दिशा में मुख्य रास्ता से दक्षिण से उतर की ओर 165 फुट लम्बा व 8 ¼ फुट चौड़ा) रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवे तो पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 आजकल आजकल कर टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम से तहसील संगरिया के चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 59 / 66 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 169 / 156 मु.न. 80 किला नं. 16 / 1 / 0.0026 है. (किला की पश्चिमी दिशा में दक्षिणी–पश्चिमी कौण में 33 फुट लम्बा व 8 ¼ फुट चौड़ा) किला नम्बर 25 / 0.013 है (किला की पश्चिमी दिशा में मुख्य रास्ता से दक्षिण से उतर की ओर 165 फुट लम्बा व 8 ¼ फुट चौड़ा) रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अकन करने के आदेश देने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 59/66 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 169/156 मु.न. 80 किला नं. 25/0.025 है. किला नम्बर 24 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा किला नम्बर 16/0.005 है. किला नम्बर 17 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करने एवं प्रार्थी ने बदले में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को चक 15 बीजीपो ज.स. 2072–75 के खाता संख्या 7/5 के प.न. 170/156 मु.न. 79 के किला नम्बर 19/0.030 व किला नम्बर 20/0.030 है. दोनो किलों का दक्षिण हिस्सा जो किला नम्बर 21 व 22 के चिपते कुल 0.060 है. बहिब कृषि भूमि देने तथा इस पर अप्रार्थी संख्या 1,5,6 कोई एतराज नही होने का कथन करते हुए सहमति का जवाब प्रार्थना पत्र मय राजीनामा (राजस्थान काश्तकारी/सरकारी संशोधित नियम 2012 के नियम 70(1)(i) के तहत) प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। राजस्व विभाग की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2021 में प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नही होने एवं प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अत्यावश्यक होना बतलाया है।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति का जवाब प्रार्थना मय राजीनामा का भली–भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम–1955 के नियम–68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति/राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

क्रियान्विति आदेश

मुताबिक सहमति/राजीनामा के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 15 बीजीपी के खाता संख्या 59/66 जमाबन्दी सम्वत 2072–75 में प.न. 169/156 मु.न. 80 किला नं. 25/0.025 है. किला नम्बर 24 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा 165 फुट लम्बा किला नम्बर 16/0.005 है. किला नम्बर 17 के चिपते 16.5 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत कर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के नाम चक 15 बीजीपी ज.स. 2072–75 के खाता संख्या 7/5 के प.न. 170/156 मु.न. 79 के किला नम्बर 19/0.030 व किला नम्बर 20/0.030 है. दोनो किलों का दक्षिण हिस्सा जो किला नम्बर 21 व 22 के चिपते कुल 0.060 है. बहिब कृषि भूमि दर्ज करने एवं प्रार्थी इकबाल सिह का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार संगरिया राजस्व रिकार्ड में आरटीए 251–ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुद्दा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में दर्ज कर प्रार्थी का उक्तानुसार हिस्सा किया जावें। प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official